

न्यायालय नायब तहसीलदार भिंयाड़, जिला बाड़मेर

राजस्थ प्रकरण मामला संख्या 73/2024 अर्न्तगत धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956

सायल

बनाम

गैर सायल

राजस्थान राज्य
जरिये पटवारी आरंग

श्री मोहनदान पुत्र शंवरदान
कौम चारण निवासी रतकोड़ीया।

“निर्णय”

दिनांक:- 20.09.2024

पत्रावली आज बगुकांम भिंयाड़ में पेश हुई और गैर सायल अनुपस्थित पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का आरंग ने धारा आर.एल.आर. एक्ट 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गै.सा. ने मौजा रतकोड़ीया के खसरा नं. 126 रकबा 60.6785 हैक्टैयर में से 3.2379 हैक्टैयर किस्म गै.मु. मगरा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण /कब्जा किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर. एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस से सुनवाई हेतु तलब किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ/और गैर सायल अनुपस्थित रहा।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर एक्ट 1956 की धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं। साथ ही वार्षिक लगान रूपये 0.12 पैसा का गुणा 50 जुर्माना राशि रूपये 120/- पूर्णांक में अक्षरे एक सौ बीस रूपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

निरीक्षक भू.अ. वृत् एवं हल्का पटवारी -को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर अतिक्रमण हटाकर अतिक्रमी से जुर्माना वास्ते अनुमोदनार्थ एवं स्वीकृति हेतु 15 योम में पेश करें।

पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैर सायल को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करे।

टी.आ.ए. पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. आदेश से सूचित हो तथा पत्रावली टी.आर.ए. के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावें।

निर्णय दिनांक 20.09.2024 को सरेआम सुनाया गया।


नायब तहसीलदार भिंयाड़